:: आदेश ::

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII-A-1/2023/2023/09(5)/2023 दिनांक 22 मार्च 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/2023 रमेशलाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्सय में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

1–	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य,
3–	नोडल प्रभागीय वनाधिकारी।	–	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी ।	–	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी।	–	सदस्य
6–	अध्यक्ष, रेणूका समिति मातली	–	सदस्य

उक्त के अनुपालन में तहसील स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल का गठन किया जाता है:–

1–	संबंधित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2–	संबंधित पुलिस उपाधीक्षक ।	–	सदस्य,
3–	संबंधित सहायक वनाधिकारी, जो एस0डी0ओ0 से न्यून न हो ।	–	सदस्य
4–	जिला खान अधिकारी ।	–	सदस्य
5–	सम्भागीय परिवहन अधिकारी।	–	सदस्य
6–	संबंधित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (**Anti Illegal Mining Force**) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें, तथा कृत कार्यवाही को अवगत करायेगें।

(अभिषेक रूहेला)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी ।

संख्या: 4754/32–अवैध खनन/2023 दिनांक 24 मार्च 2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1– उप जिलाधिकारी भटवाड़ी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला को इस निर्देश के साथ कि तहसील स्तर पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें ।
2– पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी/बड़कोट ।
3– उप प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग/यमुना वन प्रभाग बड़कोट/टौन्स वन प्रभाग पुरोला।
4– जिला खान अधिकारी,उत्तरकाशी।
5– सम्भागीय परिवहन अधिकारी ।
6– उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण ।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।